कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास, खैरथल–तिजारा
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

प्रो. एम. पी. यादव
अधिष्ठाता

01460-294857
Email: dean.coakishangarhbas@sknau.ac.in

क्रमांक एफ.( )/स्टोर/कृमावि/किशनगढ़ बास/2024–25/164 दिनांक: 06.06.2024

हिस्सा आधारित खेती हेतू सीमित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास के वित्तीय वर्ष 2024–25 में हिस्सा आधारित खेती के कार्य के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फार्मो/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास पैन कार्ड व आधार कार्ड हो से दिनांक 14.06.2024 को निर्धारित प्रपत्र में सुबह 11:30 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रू. 200 नगद या Dean, College of Agriculture, Kishangarhbas-Alwar के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान कर दिनांक 14.06.2024 को सुबह 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 14.06.2024 को सुबह 11:30 बजे तक जमा होगें। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन दोपहर 1.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू)	धरोहर राशि
1	फार्म की (10 से 12 हैक्टेयर कृषि भूमि पर खरीफ 2024) में हिस्सा आधारित खेती का कार्य	2,00,000/–	10,000/–

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान वित्त नियंन्त्रक महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. श्रीमान कोषाधिकारी महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. संयोजक, टेन्डर कमेटी, कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़–बास
4. Incharge CIMCA को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट व Sppp पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. सूचना पट्ट, कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास
6. सूचना पट्ट, नगरपालिका मण्डल, किशनगढ़बास
7. रक्षित फाइल

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, किशनगढबास, खैरथल–तिजारा

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित कृषि हेतु

सीमित निविदा प्रपत्र

सिमित निविदा सूचना क्रमांक एफ.( )/स्टोर/कृमावि/कि नगढ़ बास/2024–25/ दिनांकः 05.06.2024	
1. योजना का नाम	हिस्सा आधारित खेती
2. बजट हैड	COA, Kishangarhbas, NUF
3. कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ–2024
4. निविदा फार्म का मूल्य	200/– रूपये नगद या बैंक ड्राफ्ट
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	धरोहर राशि 10000/– रूपये बैंक ड्राफ्ट
6. अनुमानित लागत	2.00 लाख
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	14.06.2024 सुबह 10:30 बजे तक
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	14.06.2024 सुबह 11:30 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	14.06.2024 दोपहर 01:30 बजे तक
10. परिशिष्ट संख्या एक से चार	निविदा की शर्ते
11. परिशिष्ट संख्या चार – पृष्ठ संख्या पॉच	फसल व हिस्सेदारी का विवरण
12. पत्राचार हेतु पता– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास	01460 294857 (कार्यालय)

निविदादाता के हस्ताक्षर

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, किशनगढबास, खैरथल–तिजारा

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित कृषि हेतु

सीमित निविदा प्रपत्र

फर्म का नाम व पता मय दूरभाषः– ....

1. धरोहर राशि रू. 10000/– को डी0डी0 सं0/रशीद सं0...........................दिनांक .... ।
2. पैन नं0 .... **(फोटोप्रति संलग्न करें)**
3. आधार संख्या .... **(फोटोप्रति संलग्न करें)**
4. शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील ।
5. सफल निविदादाता को 100/– रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
7. बिल का भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात् कोष कार्यालय जोबनेर के पास होने के बाद किया जावेगा।
8. निविदा सील बन्द लिफाफे में कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. अमानत राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

नोटः प्रपत्र–स निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

हस्ताक्षर ठेकेदार अधिष्ठाता

परिशिष्ट संख्या – 1

निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व प्रतिशत हिस्सा का विवरण
वित्तीय निविदा प्रपत्र–1

क्र. सं.	फसल	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वंय हिस्सेदारी प्रतिषत	ठेकेदार द्वारा अन्य कोई षर्त
खरीफ फसल 2024				
1.	ग्वार	1. दाना		
		2. भूसा		
2.	मूंग	1. दाना		
		2. भूसा		
3.	चंवला	1. दाना		
		2. भूसा		

हस्ताक्षर ठेकेदार

अधिष्ठाता

निविदा शर्तेः–

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, किशनगढ़बास, खैरथल–तिजारा को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित हिस्सेदारी प्रतिशत फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति महाविद्यालय द्वारा ही की जायेगी व अधिष्ठाता की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।
4.	निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे बेड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
5.	निराई, गुडाई, थ्रेसिंग तथा संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी को होगा।
6.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए टैक्ट्रर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जावेगी।
7.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
8.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
9.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आस–पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
10.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
11.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश अधिष्ठाता दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक खरीफ सीजन तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले एक सीजन के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
12.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थो का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
13.	फार्म पर यदि खरीफ सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी।
14.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
15.	सफल निविदादाता द्वारा धरोहर राशि 10000/– रूपये नगद या Dean, College of Agriculture, Kishangarhbas-Alwar के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान करानी होगी। जिस पर किसी भी प्रकार की ब्याज देय नहीं होगी।
16.	फार्म पर 10 से 15 हैक्टेयर कृषि भूमि है, फसल के हिसाब से क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।
17.	यह ठेका खरीफ वर्ष 2024 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने के फसल फार्म फील्ड में से उठने तक के लिए मान्य होगा। फसल फील्ड में से उठने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
18.	वजन तोलते समय नमी, कचरा, ट्रान्सपोर्टेशन लोस व स्टोर लॉस के लिए एक प्रतिशत तक कुल वजन में से अलग से लिया जायेगा।
19.	जुताई हेतु ट्रेक्टर सभी यन्त्र, डीजल आदि व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जायेगी। सिंचाई हेतु मोटर, पाईप इत्यादि केन्द्र उपलब्ध करायेगा।
20.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा की जावेगी।
21.	बुवाई से लेकर थ्रेसिंग व स्टोर में बोरियों की धांग लगाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
22.	स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप व अन्य सामान गिनकर लिखित में प्राप्त करना होगा व गिनकर वापिस जमा कराना होगा व जिसकी चौकीदारी स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।

23.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद ठेकेदार को राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य होगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो तो उन फसलों का फसल काटने के समय कृषि उपज मण्डी के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर या केन्द्र द्वारा विक्रय किये केवीएसएस दर पर उस हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। ठेकेदार के भुगतान के उपरान्त केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
24.	ठेकेदार को फसल कटाई के बाद कटी हुई फसल को कहाँ इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने है। इसके लिए फार्म प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक के निर्णय के अनुसार व कार्यशीघ्रता से करना होगा। फसल इकट्ठा करने हेतु ट्रैक्टर–टॉली केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
25.	निराई, गुड़ाई, थ्रेसिंग, दवाओं का छिड़काव/ भुरकाव व अन्य संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करना होगा। प्रतिकूल मौसम होने पर कार्य रोके जाने अथवा जारी रखने व परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने का अधिकार फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक का होगा।
26.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये दाने को बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में पहुँचाकर धांग लगानी होगी। अगर थ्रैसिंग करते समय बोरियों में कचरा पाया जाता है तो कमेटी एवं स्टोरकीपर द्वारा समस्त माल को साफ करवाकर पुनः वजन कर बोरियों में भरवाया जावेगा। जिसकी मजदूरी संबंधी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की ही होगीं।
27.	थ्रेसिंग के दौरान लगने वाले लेबर का सभी खर्चा स्वयं ठेकेदार का होगा।
28.	फसल में रोगिंग/ अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक की देखरखे में अलग–अलग समय पर करना होगा।
29.	बोरिंग, पम्प, इत्यादि का ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
30.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
31.	फसल की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा।
32.	निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की मॉग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या अधिष्ठाता, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
33.	जिसके नाम हिस्सा बटाई का ठेका छूटेगा उसी व्यक्ति को आदेश मिलने के बाद से ही निविदा की शर्तो के अनुसार फार्म फील्ड की चौकीदारी का कार्य भी संभालना होगा। जो कि खरीफ फसल खेत में से उठने तक मान्य होगा।
34.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
35.	थ्रेसिंग का कार्य सुबह 8 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।
36.	सफल निविदादाता को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
37.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
38.	समस्त कार्य पूर्ण होने पर अधिष्ठाता को कार्य से संतुष्ट होने पर ही हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।
39.	निविदादाता सम्पूर्ण फसल मौसम में श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा।
40.	अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में रू0 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा व 3 प्रतिशत अमानत राशि 6000/–जमा हिस्सा आधरित फसल अनुसार करवानी होगी।
41.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।

42.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
43.	इन सभी कृषि कार्यो हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
44.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
45.	किसी प्रकार के प्राकृतिक होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
46.	मैनें उपरोक्त सभी शर्तो को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तो के अनुसार हिस्सा बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

अधिष्ठाता